

Office of the District Collector,
District-Champawat (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the meeting of the district level committee of Champawat district constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of shri Ahmed Iqbal , District Magistrate, Champawat (Uttarakhand) on atat Champawat in which the application claiming rights in Kot & Pedusera villages in Lohaghat Tehsil, area measuring 4.9250 hect. for the construction of Kimtoli to Kot motor road under PMGSY in Champawat of forest land under FRS, 2006 of the following applicant dully processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Lohaghat tehsil were discussed to consider the same for admission by the Division Level Committee.

After scrutiny of documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made and hence the District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


(जिलाधिकारी)

District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Champawat

From -1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District collector
Champawat

No

Date 26/9/16

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forests (MoEF) Government of India's letter no 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) act 2006 (tra, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letter dated 29/09/2016 wherein MoEF issued certain relaxations in respect of linear projects it is certified that 4.9250 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Gram Vikash Depart., Govt. of Uttarakhand** in **Champawat** district falls within jurisdiction of Construction of **Kot and Pedusera** village in **Lohaghat** Tehsils.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the fra has been carried out for the entire 4.9250 hectares of forest area proposed for diversion a copy of record of all consultation and meetings of the forest rights committees are enclosed as annexure 23(a) to 23 (d)
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the fra have been completed and the grama sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

District collector

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 14.950 किमी० तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, लोहाघाट.

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, लोहाघाट

उपखण्ड लोहाघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (2.5375 हे० आरक्षित वन भूमि, 2.3875 हे० सिविल सोयम वन भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.9250 हे० वन भूमि) पी०एम०जी०एस०वाई० चम्पावत (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लोहाघाट) की दिनांक 20/09/016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी०एस० डोभाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सी०एस० डोभाल, उपजिलाधिकारी, लोहाघाट - अध्यक्ष
- 2- श्री महिपाल सिंह सिरौही, उप प्रभागीय वनाधिकारी, लोहाघाट - सदस्य
- 3- श्री एम०डी० भट्ट, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, लोहाघाट - सदस्य/सचिव
- 4- श्रीमति धनी देवी बी०डी०सी० क्षेत्र, मडचमार सदस्य

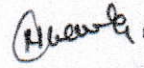
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चम्पावत में किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना हेतु 4.9250 हे० वन भूमि का पी०एम०जी०एस०वाई० चम्पावत (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

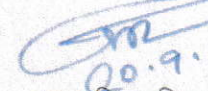
संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का

दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

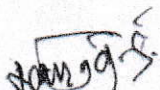
बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड लोहाघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में किमतोली से कोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 4.9250 हे० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप-जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
लोहाघाट
जनपद चम्पावत


तहसीलदार
लोहाघाट

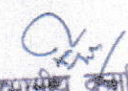

20.9.16
उप-जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
लोहाघाट
जनपद चम्पावत

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।




वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र-लोहाघाट
जनपद चम्पावत


उप-जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
लोहाघाट
जनपद चम्पावत


उप-जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
लोहाघाट
जनपद चम्पावत

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कोट
तहसील लोहाघाट, जिला चम्पावत

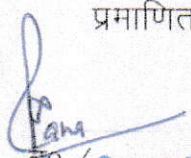
अनापत्ति प्रमाण पत्र

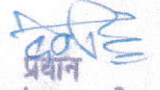
उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत किमतोली से कोट मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (2.5375 हे० आरक्षित वन भूमि, 2.3875 हे० सिविल सोयम भूमि शून्य हे०, वन पंचायत भूमि शून्य हे०) अर्थात् कुल 4.9250 हे० वन भूमि का पी०एम०जी०एस०वाई० चम्पावत विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

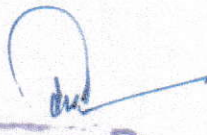
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोट द्वारा दिनांक 20/9/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोट एवं पेड़सेरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

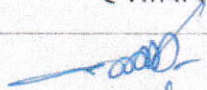
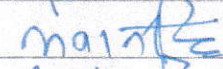
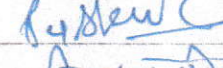
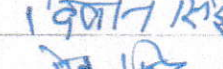
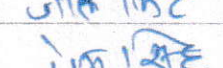
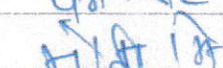

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोट
वि.ख. मुहुर सहित (चम्पावत)

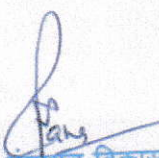

ग्राम पंचायत कोट
वि०ख०- लोहाघाट (चम्पावत)
ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहुर सहित

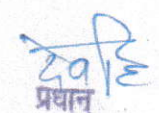

रा०उ०नि०
क्षेत्र...जिला प्रताप.....
तहसील लोहाघाट
जिला- चम्पावत

दिनांक 20/9/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	कमर सिंह	
2.	कुमार सिंह	
3.	भवेगवान सिंह	
4.	पुष्कर सिंह	
5.	विश्व सिंह	
6.	जोत सिंह	
7.	प्रेम सिंह	
8.	मोती सिंह	
9.	विश्व सिंह	
10.	खड्ग सिंह	


 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत कोट
 वि.ख. लोहाघाट (चम्पावत)


 प्रधान
 ग्राम पंचायत कोट
 वि.ख. लोहाघाट (चम्पावत)
 ग्राम प्रधान